www.chronicleindia.in

facebook/civilserviceschronicle

इस अंक में

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

अक्टूबर 2023
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 2

85

प्रारंभिक परीक्षा
सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-1

सामयिक आलेख

06 चंद्रयान-3 मिशन : भारत की अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर
09 सर्कुलर इकोनॉमी : सतत भविष्य की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्रमण
12 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : समूह के विस्तार का भारत के लिए निहितार्थ एवं चुनौतियां
15 भारत में मादक द्रव्यों का सेवन : नशा-मुक्त समाज के निर्माण हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक

इन फोकस

18 एक राष्ट्र, एक चुनाव : महत्व तथा कार्यान्वयन के मार्ग में चुनौतियां
19 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं जलवायु कार्रवाई : अवसर एवं जोखिम
20 जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023: संशोधनों की आवश्यकता तथा संबंधित मुद्दे

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य..... 23-30

23 IPC, CrPC तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक
25 प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
25 फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023
25 मध्यस्थता विधेयक, 2023
26 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
26 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023
27 कावेरी जल विवाद
27 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट द्वारा मामलों का त्वरित निपटान
28 टेली-लॉ 2.0
28 स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा

22 **सक्सेस सूत्र**
जीवन की जीवंतता, संघर्ष की पटकथा

79 **पत्रिका सार : अगस्त 2023**
योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति

141 **69वीं बीपीएससी प्रा. परीक्षा**
राज्य विशेष समसामयिक वार्षिकी 2022-23

29 विवाद से विश्वास 2.0 योजना
29 इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2022

सामाजिक परिदृश्य 31-35

31 गर्भ का चिकित्सकीय समापन
31 14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं
32 ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट
32 अखिल भारतीय शिक्षा समागम और उल्लास पहल
33 प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
33 लखपति दीदी योजना
34 आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट
34 'मनरेगा' की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट

विरासत एवं संस्कृति 36-40

36 सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण
36 अन्ना भाऊ साठे
37 विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे लाइनें
37 सात उत्पादों को जीआई टैग
38 भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र
38 पांडुलिपि विज्ञान और पुरालेखविद्या पर पाठ्यक्रम के विकास हेतु पैनल
39 आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल
39 मेगालिथिक हैट स्टोन : थोप्पिकल्लु
40 उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव

आर्थिक परिदृश्य 41-49

41 भारत-न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम
41 'स्वदेश दर्शन योजना' पर कैग रिपोर्ट
42 लिकारू-मिगला-फुकचे सड़क का निर्माण कार्य आरंभ
42 मार्केट कपलिंग पर विभिन्न हितधारकों के सुझाव आमंत्रित
43 आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक
43 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
44 फ्रिक्शनलेस क्रेडिट
44 वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (ICRR) पर RBI के दिशा-निर्देश
45 एआई-संचालित यूपीआई भुगतान सुविधाओं की घोषणा
45 मूडीज द्वारा भारत को Baa3 की रेटिंग
46 तटीय जल कृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
47 लोकनीति-सीएसडीएस आर्थिक सर्वेक्षण

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 50-57

50 15वीं भारत-जापान विदेश मंत्रिस्तरीय रणनीतिक वार्ता
51 ऑस्ट्रेलिया के साथ 'म्यूच्यूअल रिकग्निशन अरेंजमेंट'
51 इंडिया स्टैक को साझा करने हेतु त्रिनिदाद एवं टोबैगो से समझौता
51 गैबॉन द्वारा 500 मिलियन डॉलर के 'डेब्ट फॉर नेचर स्वैप' की घोषणा
52 भारत तथा उत्तरी समुद्री मार्ग
53 संगठित अपराध और जॉर्जिया रीको अधिनियम
53 भारत-श्रीलंका कच्चातिवु द्वीप विवाद
54 भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा
55 भारत-म्यांमार सीमा तथा 'फ्री मूवमेंट रिजीम'
55 कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
55 टिटिकाका झील
56 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों हेतु व्यापार एवं आर्थिक जुड़ाव योजना

पर्यावरण एवं जैव विविधता 58-67

58 आक्रामक विदेशी प्रजाति : लुडविगिया पेरुवियाना
59 वैश्विक स्तर पर समुद्री हीट वेव
59 आईपीसीसी का 7वां मूल्यांकन चक्र
60 मानसून अवकाश
61 एक्यूडक्ट 4.0 रिपोर्ट
61 अखिल भारतीय बाघ अनुमान-2022
62 हरित हाइड्रोजन मानक
62 ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड
63 वैश्विक पर्यावरण सुविधा सम्मेलन
63 बेलेम घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर
64 धूमिल तेंदुओं से संबंधित अध्ययन
64 भारत के 75 स्थानिक पक्षी
64 पेरुसेटस कोलोसस : अब तक का सबसे भारी जंतु
65 चीन में शहरी बाढ़ एवं स्पंज शहर
65 हवाई के माउई द्वीप में वनाग्नि

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 68-78

68 पारंपरिक चिकित्सा पर प्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन-वैश्विक सम्मेलन
69 केवल जेनेरिक दवाएं लिखने की अनिवार्यता वाले नियमों पर रोक
69 फ्यूचर ऑफ वर्क: स्टेट ऑफ वर्क/एआई
70 प्रथम 3D-प्रिंटेड पोस्ट-ऑफिस
70 इकोलोकेशन
71 स्वदेशी 'अस्त्र मार्क-2 मिसाइल' का सफलतापूर्वक परीक्षण
71 आईएनएस विंध्यगिरि
72 जीन-संपादित सरसों
72 कोशिका-मुक्त डीएनए
73 ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम
73 डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी कार्यक्रम
74 भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज
74 अनुसंधान राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन अधिनियम, 2023
75 आइंस्टीन क्रॉस
75 100 माइक्रोसाइट्स परियोजना के तहत पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट
76 पार्काचिक ग्लेशियर में झीलों के निर्माण की संभावना

राज्यनामा..... 146-149

लघु संचिका 150-154

खेल परिदृश्य..... 155-158

समसामयिक प्रश्न 159-160

वन लाइनर..... 161-162

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि., 2/12 ईस्ट पंजाबी बाग नयी दिल्ली से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

चंद्रयान–3 मिशन

भारत की अंतरिक्ष यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर

• डॉ. अमरजीत भार्गव

भारत के पास अंतरिक्ष क्षेत्र में विशाल अप्रयुक्त क्षमता विद्यमान है। सरकार द्वारा पर्याप्त नीतिगत उपायों के माध्यम से इस क्षमता का उपयोग देश को अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व की महाशक्तियों के समकक्ष खड़ा करने हेतु किया जा सकता है। इसरो के अनुभवों से पता चलता है कि अंतरिक्ष गतिविधियां अत्यंत खर्चीली होती हैं तथा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देकर निवेश के इस अंतर को पूरा किया जा सकता है। इससे न केवल सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे, बल्कि भारत को वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद मिलेगी।

23 अगस्त, 2023 को चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। 14 जुलाई, 2023 को प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान-3 ने 40 दिनों की अपनी यात्रा के पश्चात चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है।

* 26 अगस्त, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह घोषणा की गई कि जिस बिंदु पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की, उसे 'शिव शक्ति' (Shiv Shakti) नाम से जाना जाएगा और जिस स्थल पर वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर अपने पदचिह्न छोड़े थे, उसे 'तिरंगा बिंदु' (Tiranga Point) के नाम से जाना जाएगा। साथ ही, प्रधानमंत्री ने चंद्रयान-3 की उल्लेखनीय उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस (National Space Day) के रूप में मनाए जाने की घोषणा की।
* चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग को अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है।

चंद्रयान–3: उद्देश्य, मॉड्यूल तथा पेलोड

चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) का एक चंद्र अन्वेषण मिशन (Lunar Exploration Mission) है। इसे एलवीएम3 (LVM3) रॉकेट प्रणाली का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था।

* यह चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 के पश्चात चंद्रयान श्रृंखला का तीसरा मिशन है। यह चंद्रयान-2 का अनुवर्ती मिशन भी है। इस मिशन के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग तथा रोवर के घूमने (Roving) की संपूर्ण क्षमता प्रदर्शित की है।
* चंद्रयान-3 मिशन के तहत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले लैंडर को 'विक्रम' (Vikram) तथा चंद्रमा की सतह पर विचरण करने वाले रोवर को 'प्रज्ञान' (Pragyaan) नाम दिया गया है।
* **उद्देश्य:** चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना,
  - चंद्रमा पर रोवर के घूमने (Roving of the Rover) की क्षमता का प्रदर्शन करना तथा
  - यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों (In-Situ Scientific Experiments) का संचालन करना।
* **मॉड्यूल:** चंद्रयान-3 मिशन में तीन मॉड्यूल शामिल किए गए थे: प्रोपल्शन मॉड्यूल (Propulsion Module: PM), लैंडर मॉड्यूल (Lander Module: LM) तथा रोवर (Rover)।
  - प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य कार्य लैंडर मॉड्यूल (LM) को लॉन्च वाहन इंजेक्शन द्वारा चंद्रमा की अंतिम 100 किमी. गोलाकार ध्रुवीय कक्षा तक ले जाना था, इसके पश्चात लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक हो गया।
  - लैंडर मॉड्यूल (LM) के माध्यम से रोवर को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाया गया तथा रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह का यथास्थान रासायनिक विश्लेषण किया जा रहा है।
* **पेलोड:** चंद्रयान-3 मिशन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पेलोड तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं-
* **प्रोपल्शन मॉड्यूल (PM) में शामिल पेलोड:**
  - शेप (SHAPE- Spectro-polarimetry of HAbitable Planet Earth): यह पेलोड चंद्र कक्षा से पृथ्वी का 'स्पेक्ट्रो- पोलरिमेट्रिक अध्ययन' (Spectro-Polarimetric Studies) करेगा।
    - स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्रिक अध्ययन, खगोलीय पिंडों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए खगोल विज्ञान में उपयोग की जाने वाली तकनीक है।
    - SHAPE पेलोड ऐसे छोटे ग्रहों की तलाश भी करेगा, जो परावर्तित प्रकाश में रहने योग्य हो सकते हैं।
* **लैंडर मॉड्यूल (LM) में शामिल पेलोड:**
  - **ChaSTE पेलोड:** यह (Chandra's Surface Thermophysical Experiment) दक्षिणी ध्रुव के पास तापीय चालकता और तापमान को मापने का कार्य करेगा।

सर्कुलर इकोनॉमी

सतत भविष्य की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्रमण

• संपादकीय डेस्क

चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा जहां एक तरफ अकुशल या अर्द्ध-कुशल जनसंख्या हेतु रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किये जा सकेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक संसाधन कुशल भी बनाया जा सकेगा। यह देश के लोगों को पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। ऐसे में सरकार को सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित उचित नीति निर्माण करने की आवश्यकता है, जो उत्पाद के संग्रहण, शोधन, पुनः उत्पादन, पुनर्चक्रण और निपटान के तरीकों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करे।

जुलाई 2023 में, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चेन्नई में चौथे G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह (ECSWG) के मौके पर संसाधन दक्षता चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन [Resource Efficiency Circular Economy Industry Coalition (RECEIC)] का शुभारंभ किया।

* यह गठबंधन एक उद्योग-आधारित पहल है, जिसका वैश्विक फोकस संसाधन दक्षता को बढ़ाने के साथ ही वैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना है, जो सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित हैं। यह गठबंधन एक स्वायत्त निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो एक सतत पर्यावरणीय प्रभाव (Sustainable Environmental Impact) को सुविधाजनक बनाएगा।
* संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की एक रिपोर्ट के अनुसार संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों में 23% एवं वैश्विक जैव विविधता हानि में 90% योगदान देता है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में लक्ष्य 12 के अंतर्गत जिम्मेदार खपत एवं उत्पादन (Responsible Consumption - Production) की चर्चा की गई है। इसके साथ ही पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक समय से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सर्कुलर इकोनॉमी सहायक हो सकती है।

सर्कुलर इकोनॉमी क्या है?

* सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था, पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था (Linear Economy) का एक विकल्प है। रैखिक अर्थव्यवस्था में उत्पादों के जीवन चक्र में तीन चरण शामिल किये जाते हैं- उन्हें बनाना, उपयोग करना और उनका निपटान करना।
* वहीं सर्कुलर इकोनॉमी में, संसाधनों का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए उन्हें यथासंभव लंबे समय तक उपयोग में रखा जाता है तथा अंत में अपशिष्ट को प्राप्त करके उसका पुनर्चक्रण किया जाता है।
* एक चक्रीय अर्थव्यवस्था में निर्माता, उत्पादों को इस प्रकार डिजाइन करते हैं, ताकि ये पुनः प्रयोज्य हो सकें। ऐसी अर्थव्यवस्था में उत्पादों के साथ-साथ कच्चे माल का भी यथासंभव उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक सर्कुलर इकोनॉमी में हम अपने परिवेश के प्रति जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करते हैं।
* सर्कुलर इकोनॉमी को संसाधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग की एक ऐसी प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें रख-रखाव, पुनः उपयोग, नवीनीकरण, पुनर्निर्माण, पुनर्चक्रण आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादों और सामग्रियों को प्रचलन में रखा जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का रैखिक मॉडल

* वर्तमान भारत का आर्थिक मॉडल काफी हद तक रैखिक है, जहां संसाधनों का निष्कर्षण किया जाता है, उन्हें संसाधित किया जाता है और उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। उपयोग के बाद, इन उत्पादों का निपटान कर दिया जाता है। इसमें से केवल 20 प्रतिशत ही पुनर्चक्रित हो पाता है तथा शेष से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
* भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, इसके साथ ही देश के नागरिकों की क्रय शक्ति में सुधार हो रहा है। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में सुधार के साथ ही ई-कचरा उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत वैश्विक स्तर पर ई-कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां वर्ष 2019 तक, प्रति व्यक्ति ई-कचरा उत्पादन 2.4 किग्रा है।
* केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत हर साल 62 मिलियन टन से अधिक कचरा उत्पन्न करता है। इसमें लगभग 43 मिलियन टन (70%) अपशिष्ट का एकत्रण किया जाता है, जिसमें से लगभग 12 मिलियन टन का उपचार किया जाता है और 31 मिलियन टन लैंडफिल साइटों पर डंप कर दिया जाता है।

रैखिक अर्थव्यवस्था की तुलना में सर्कुलर इकोनॉमी के लाभ

* **वहनीयता (Sustainability):** चक्रीय अर्थव्यवस्था एक अधिक टिकाऊ उत्पादन और उपभोग मॉडल स्थापित करता है, जिसमें कच्चे माल को उत्पादन चक्रों में लंबे समय तक रखा जाता है और इसका बार-बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न होता है।
* **पर्यावरण की रक्षा:** यह संसाधनों के निष्कर्षण की आवश्यकता को कम करता है, जिससे खनिजों के निष्कर्षण से लेकर वस्तुओं के उत्पादन तक होने वाला कार्बन उत्सर्जन कम होता है तथा प्राकृतिक संसाधनों की खपत कम होती है।

15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

समूह के विस्तार का भारत के लिए निहितार्थ एवं चुनौतियां

• महेंद्र चिलकोटी

15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन समूह का विस्तार करने तथा इसे आधुनिक बनाने के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा। इसने एक मजबूत संकेत भेजा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था को वर्तमान की बहुध्रुवीय वास्तविकता को स्वीकार करना होगा तथा इसके अनुरूप परिवर्तन करना होगा।

22-24 अगस्त, 2023 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित सैंडटन कन्वेंशन सेंटर (SCC) में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (XV BRICS Summit) आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन का विषय (Theme) था- 'ब्रिक्स एवं अफ्रीका: पारस्परिक रूप से त्वरित संवृद्धि, सतत विकास एवं समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी'। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के 5 मौजूदा सदस्य देशों- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों या राष्ट्र-प्रमुखों ने भाग लिया।

* 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय आयोजन था। यह पहली बार है, जब ब्रिक्स ने इतने व्यापक स्तर पर अपनी सदस्यता का विस्तार किया है तथा यह विश्व में सहयोग और विकास के लिए एक शक्ति के रूप में समूह के बढ़ते महत्व को इंगित करता है।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

* **ब्रिक्स का विस्तार:** 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 6 नए देशों को शामिल करने तथा इस प्रकार समूह के विस्तार (BRICS group expansion) की घोषणा की गई। प्रथम चरण के विस्तार में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया है, जो 1 जनवरी, 2024 से आधिकारिक रूप से ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बन जाएंगे।
* **आयोजित संवाद:** इस सम्मेलन में दो प्रमुख संवाद आयोजित किए गए:
  - ब्रिक्स-अफ्रीका पहुंच (BRICS-Africa Outreach) तथा
  - ब्रिक्स प्लस संवाद (BRICS Plus Dialogue)।
* **साझेदारी:** सम्मेलन में निम्नलिखित क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने पर बल दिया गया;
  - जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों सहित न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण,
  - भविष्य के लिए शिक्षा और कौशल विकास में बदलाव,
  - महामारी के बाद सामाजिक-आर्थिक सुधार को सुदृढ़ करना; तथा
  - सतत विकास पर 2030 एजेंडा की प्राप्ति।
* **राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा:** सम्मेलन में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों में निम्नलिखित शामिल थे:
  - रूस-यूक्रेन संघर्ष,
  - नाइजर में तख्तापलट के बाद का परिदृश्य; तथा
  - पश्चिम और रूस के मध्य तनाव में वृद्धि।
* **आर्थिक सुधार:** सम्मेलन में आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देने के साथ यह स्वीकार किया गया कि उभरते बाजार और विकासशील देशों (Emerging Markets and Developing Countries: EMDC) को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक निर्णयों में अधिक स्थान प्राप्त हो रहा है।
* **व्यापक भागीदारी:** दक्षिण अफ्रीका ने अपनी मेजबानी में अफ्रीकी संघ (African Union) तथा लगभग 20 अन्य ऐसे देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिनके द्वारा इस अवसर पर वैश्विक दक्षिण (Global South) का प्रतिनिधित्व किया गया।

ब्रिक्स के विस्तार की प्रमुख आवश्यकताएं

* **समूह के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना:** ब्रिक्स वर्तमान में 20 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व का सबसे बड़ा उभरता हुआ बाजार समूह है। गुट का विस्तार करने से इसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व और अधिक बढ़ेगा।
* **समूह की सदस्यता में विविधता लाना:** वर्तमान ब्रिक्स सदस्य सभी समान आर्थिक स्थिति वाले वैश्विक दक्षिण के देश हैं। अफ्रीका या दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे अन्य क्षेत्रों के देशों को शामिल कर समूह का विस्तार करने से इसकी सदस्यता में विविधता आएगी तथा इसे अधिक वैश्विक पहुंच मिलेगी।
* **साझा चुनौतियों का समाधान करना:** ब्रिक्स देश जलवायु परिवर्तन, निर्धनता एवं असमानता जैसी कई आम चुनौतियों का सामना कर रहे है। समूह का विस्तार करने से इन चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
* **जी-7 के प्रभाव का सामना करना:** जी-7 विश्व के सर्वाधिक धनी एवं औद्योगिक देशों का समूह है तथा यह परंपरागत रूप से वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मामलों में सबसे प्रभावशाली समूह रहा है। ब्रिक्स का विस्तार जी7 के लिए एक प्रतिकार पैदा करेगा, जिससे उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक स्थान प्राप्त होगा।
* **दक्षिण-दक्षिण सहयोग:** ब्रिक्स देश अक्सर अपने साझा हितों को बढ़ावा देने और वैश्विक उत्तर (Global North) पर निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग (South-South Cooperation) अर्थात वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच सहयोग पर जोर देते हैं। सदस्यों की संख्या में वृद्धि से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

भारत में मादक द्रव्यों का सेवन

नशा-मुक्त समाज के निर्माण हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद-47 में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने तथा हानिकारक नशीली दवाओं एवं मादक पेय पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करें। देश में मादक द्रव्यों एवं नशीली दवाओं के खतरों को कम करने के लिए राज्यों तथा पड़ोसी देशों के मध्य बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग से मादक द्रव्यों के नियंत्रण हेतु विभिन्न पहलुओं को शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का निर्माण कर सकती है।

'युवा व्यक्तियों में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग-समस्याएं और समाधान' नामक विषय पर गठित संसद की स्थायी समिति द्वारा हाल ही में लोक सभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि देश में मादक पदार्थों एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्कूली एवं कॉलेज स्तर के पाठ्यक्रम में नशीली दवाओं की लत, इसके परिणामों तथा नशामुक्ति उपायों पर अध्याय शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

* पिछले कुछ वर्षों में, भारत में नशीली दवाओं का व्यापक दुरुपयोग एक गंभीर मुद्दा बन गया है; जो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है।
  - उच्च बेरोजगारी दर और उपलब्ध आर्थिक संभावनाओं की कमी के परिणामस्वरूप देश के युवाओं द्वारा असुरक्षा एवं निराशा का सामना किया जा रहा है। समाज में बढ़ती हताशा लोगों को नशीली दवाओं एवं मादक पदार्थों के प्रयोग हेतु प्रेरित करती है।
* नवीन तकनीकों एवं विधियों के प्रयोग द्वारा देश में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में सतत् रूप से वृद्धि देखने को मिल रही है। डार्कनेट बाजारों (Darknet Markets) के उद्भव और समुद्री मार्गों के बढ़ते उपयोग ने भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में नई चुनौतियां उत्पन्न की हैं।
  - समाज की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन उभरती चुनौतियों का समाधान नवीन समाधानों से किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में भारत में विशेषकर युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के कारणों एवं उत्पन्न परिणामों का व्यापक विश्लेषण समय की मांग है।

भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी की स्थिति

* **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)** की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, भारत में तस्करी की गई कुल अवैध दवाओं का लगभग 70% है। रिपोर्ट पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में स्थित अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट (International Drug Syndicates) द्वारा समुद्री मार्गों के उपयोग में वृद्धि की संभावना व्यक्त करती है।
* **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय** की विश्व ड्रग रिपोर्ट 2022 से पता चला है कि भारत उपयोगकर्त्ताओं के मामले में विश्व के सबसे बड़े अफीम बाजारों में से एक है। भारत अफगानिस्तान से बढ़ती आपूर्ति के प्रति संवेदनशील है तथा पंजाब व हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों की युवा जनसंख्या अफीम का उपयोग करने में अग्रणी है। वर्तमान समय में नशीली दवाओं के ओवरडोज से होने वाली सर्वाधिक मौतें पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा गुजरात जैसे राज्यों में हो रही हैं।
* **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** द्वारा वर्ष 2019 में **'भारत में नशीले पदार्थों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण'** नामक एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित चिंताएं उजागर की गई थीं:
  - संपूर्ण देश में लगभग 3.1 करोड़ व्यक्ति (2.8% जनसंख्या) भांग का सेवन करते हैं तथा लगभग 72 लाख (0.66%) लोग भांग की लत संबंधी समस्या से पीड़ित हैं।
  - राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2.06% आबादी अफीम का उपयोग करती है तथा इनमें लगभग 0.55% (लगभग 60 लाख) लोगों को उपचार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है।
  - वर्तमान समय में लगभग 1.08% भारतीय (लगभग 1.18 करोड़ लोग) शामक दवाओं (Sedatives) [गैर-चिकित्सीय उपयोग] के उपयोगकर्ता हैं।
  - देश भर के लगभग 0.58% वयस्क तथा 7% बच्चे एवं किशोर इनहेलेंट (Inhalant) के उपयोगकर्ता हैं।
  - इसी प्रकार, संपूर्ण देश में लगभग 8.5 लाख लोग नशे के इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।
* गुमनामी और कम जोखिम के कारण 60% से अधिक **डार्कनेट का उपयोग** अवैध मादक पदार्थों के व्यापार हेतु किया जा रहा है। डोरस्टेप डिलीवरी के लिए क्रिप्टोकरेंसी भुगतान और कूरियर सेवाओं के उपयोग ने पारंपरिक दवा बाजारों की तुलना में डार्कनेट लेनदेन को अधिक आकर्षक बना दिया है।

भारत में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग एवं तस्करी के प्रमुख कारण

* **भौगोलिक स्थिति:** भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से मादक द्रव्यों के सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्रों- 'गोल्डन क्रिसेंट' (Golden Crescent)

in फोकस

- एक राष्ट्र, एक चुनाव : महत्व तथा कार्यान्वयन के मार्ग में चुनौतियां
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं जलवायु कार्रवाई : अवसर एवं जोखिम
- जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023: संशोधनों की आवश्यकता तथा संबंधित मुद्दे

एक राष्ट्र, एक चुनाव

महत्व तथा कार्यान्वयन के मार्ग में चुनौतियां

1 सितंबर, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation One Election) की व्यवहार्यता पर अध्ययन के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति 'राम नाथ कोविन्द' की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। वर्तमान केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से सतत रूप से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू करने पर जोर दे रही है।

- देश भर में केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पर आधारित संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। 1970 के दशक से केंद्र तथा अनेक राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों द्वारा सरकार बनाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है तथा वर्तमान समय में गठबंधन सरकार भारतीय शासन पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई है। गठबंधन सरकार की विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण देश की राज्य विधानसभाओं एवं लोक सभा के चुनाव की तिथि अलग-अलग होती है। भारत में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के लाभों पर गौर किया जाए तो यह सैद्धांतिक रूप से एक बेहतर विकल्प तो प्रतीत होता है, किंतु इसे लागू करने से पूर्व राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श आवश्यक है।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' क्या है?

- एक राष्ट्र, एक चुनाव का अर्थ अलग-अलग एवं निरंतर चुनावों के स्थान पर राज्य विधानसभाओं तथा लोक सभा के लिए एक साथ चुनाव कराने से है।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** वर्ष 1967 तक संपूर्ण देश में स्वत: ही 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की प्रक्रिया आदर्श रूप में लागू थी। वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए थे।
  - हालाँकि, 1968 और 1969 में कुछ विधान सभाओं के समय से पूर्व भंग होने (Premature Dissolution) के कारण पहले से जारी 'एक साथ चुनाव चक्र' (Simultaneous Election Cycle) बाधित हो गया।
  - इसी प्रकार, वर्ष 1970 में लोक सभा को समय से पहले भंग कर दिया गया तथा 1971 में नए चुनाव कराए गए। इन सभी घटनाओं के कारण भारत में 'एक साथ चुनाव का चक्र' टूट गया तथा अब राज्य विधानसभा एवं लोक सभा के चुनाव अलग-अलग समय पर कराए जाते हैं।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की संकल्पना के पक्ष में तर्क

- **विभिन्न समितियों की सिफारिशें:** वर्ष 1983 में चुनाव आयोग की रिपोर्ट में, वर्ष 1999 में 170वें विधि आयोग द्वारा तथा वर्ष 2015 में ई. एम. सुदर्शन नचियप्पन की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति द्वारा देश भर में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है।
- **राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ में कमी:** क्रमिक रूप से जारी चुनाव चक्र से राज्य के खजाने पर व्यापक वित्तीय बोझ उत्पन्न होता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लागू किए जाने से भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया पर होने वाले कुल खर्च में कमी आएगी।
- **'आदर्श आचार संहिता' की अवधि में कमी:** चुनावों के दौरान बार-बार आदर्श आचार संहिता (MCC) लगाए जाने से कई महीनों तक विकास कार्य प्रभावित होते हैं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणामस्वरूप होने वाली 'नीतिगत पंगुता' को कम करेगी।
- **मतदान प्रतिशत में वृद्धि:** विधि आयोग के अनुसार, एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत में वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के लिए एक समय पर कई वोट डालना आसान होगा।
- **प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि:** चुनावों के समय संपूर्ण राज्य मशीनरी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। क्रमिक रूप से जारी चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति से देश में रोजमर्रा के प्रशासन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा प्रशासनिक व्यवस्था की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।

'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के कार्यान्वयन मार्ग में चुनौतियां

- **संवैधानिक एवं कानूनी चुनौतियां:** 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की प्रक्रिया को लागू करने के लिए संविधान तथा अन्य कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी। इस दिशा में संविधान के 5 अनुच्छेदों में महत्वपूर्ण संशोधन की आवश्यकता होगी-
  - **अनुच्छेद 83:** संसद के सदनों की अवधि के संबंध में,
  - **अनुच्छेद 85:** राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा को भंग करने के संबंध में,
  - **अनुच्छेद 172:** राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि के संबंध में,
  - **अनुच्छेद 174:** राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित, और
  - **अनुच्छेद 356:** राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में।
  - इनमें से अधिकांश प्रावधान देश की संघात्मक प्रकृति से संबंधित हैं तथा इनमें में संशोधन हेतु 50% राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, जो किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सक्सेस सूत्र

जीवन की जीवंतता, संघर्ष की पटकथा

• डॉ. श्याम सुन्दर पाठक 'अनन्त'

जीवन एक पहेली की तरह है, जिसका हल इससे बचने में नहीं, बल्कि इससे लड़कर ही निकाला जा सकता है। जिस प्रकार एक जहाज, बन्दरगाह के भीतर सुरक्षित तो होता है, परन्तु उसका उद्देश्य वह नहीं होता, उसी प्रकार जीवन भी एक जहाज की ही तरह है, इसमें संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक है।

* अस्तित्ववादी दार्शनिक 'सार्त्र' के अनुसार "प्रत्येक व्यक्ति, अपने निर्णय का ही प्रतिफल है"। यानी व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय ही उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। प्रत्येक निर्णय अपने साथ कुछ चुनौतियां लेकर आता है। परन्तु, हम किसी चुनौती से सिर्फ इसलिए दूर भाग नहीं सकते कि कहीं उसके जोखिम का सामना न करना पड़े। संघर्ष का जोखिम तो लेना ही पड़ेगा।

"गिरते हैं शहसवार ही, मैदान-ए-जंग में,
वो तिफ्ल क्या गिरेंगे, जो घुटनों के बल चले ॥"

(तिफ्ल- शिशु; शहसवार- घुड़सवार)

* हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे कई प्रकार की गलतियां करते हैं। कभी-कभी तो हमारे लाख टोंकने के बावजूद भी वे नहीं रुकते, लेकिन एक गलती वह कभी नहीं करते; जानते हैं क्या? वह कितनी बार भी गिरें, कितनी भी बार चोटिल हों, लेकिन कभी चलना नहीं छोड़ते।
* हम कभी गिरें न, चोट न खाएं, कभी भटकें न; और इसके लिए हम घर से ही न निकलें, तो क्या हम कभी जीत पाएंगे? जिन्दगी के सच्चे अनुभव ले पाएंगे? उत्तर यही होगा- नहीं, कभी नहीं। तो फिर गिरने से डरना क्यों? किसी शायर ने सच ही कहा है-

"मंज़िल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही ।
गुमराह तो वो हैं, जो घर से निकले ही नहीं ॥"

* यथार्थ जीवन जीने के लिए संघर्षों के रास्तों पर चलना पड़ता है। ख्वाब देखने पड़ते हैं; सपने बुनने पड़ते हैं। ये सपने ही हैं, जो मनुष्य को कर्मशील बनने हेतु प्रेरित करते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अनुसार-

"सपने वे नहीं, जो बन्द आंखों से देखे जाते हैं,
बल्कि वे हैं, जो सोने ही न दें।

* लेकिन सपने तो टूट भी सकते हैं; इसका अर्थ यह नहीं कि हम सपने देखना ही छोड़ दें। कुछ सपने टूट जाने से जिन्दगी समाप्त नहीं हो जाती। मनुष्य अपने सपनों के माध्यम से ही अपनी आकांक्षाओं को पंख दे पाता है। सपनों को पूरा करने के लिये अपनी नींद, सुख-चैन आदि छोड़ना ही उन्हें पूरा करने का एकमात्र तरीका है।
* समस्या यह नहीं कि जीवन में संघर्ष हैं, बल्कि संघर्ष-मुक्त जीवन की कल्पना करना ही बेईमानी है। जिसके जीवन में कष्ट नहीं, समस्याएं नहीं, परेशानियां नहीं, बाधाएं नहीं; वह व्यक्ति जीवन जी ही नहीं रहा; वह जान ही नहीं पाएगा कि जीवन है क्या? **गोपाल दास नीरज जी लिखते हैं-**

साथी! दुःख से घबराता है?
दुःख ही कठिन मुक्ति का बंधन, दुःख ही प्रबल परीक्षा का क्षण,
दुःख से हार गया जो मानव, वह क्या मानव कहलाता है?

* जो रास्ते हमें आसान लगते हैं, वे बाद में मुश्किल भरे भी हो सकते हैं। मुश्किल रास्ते ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अक्सर हमें डर लगता है- हारने से, असफलता से; और अपने इस डर के कारण हम चलना ही बन्द कर दें, लड़ना ही बन्द कर दें; यह उचित नहीं।
* यही बात बच्चों की परवरिश पर भी लागू होती है। हमारी अति सुरक्षा वाली भावना अक्सर उन्हें कमजोर बना देती है। वे बने ही हैं, आसमानों की ऊंचाइयां छूने के लिए। यह ध्यान में रखना होगा कि कहीं हमारी अति सुरक्षा की भावना उन्हें ऐसा व्यक्ति न बना दे कि वे अपने जीवन में संघर्षों से ही भागते फिरें।
* क्या आप जानते हैं, एक बाज अपने बच्चे की परवरिश किस प्रकार करती है? मादा बाज अपने बच्चे के जन्म के बाद उसे अपने पंजों से पकड़कर लगभग 12 किमी. की ऊंचाई पर पहुंच जाती है तथा वह उसे वहां से फेंक देती है। उसे एहसास कराया जाता है कि उसका जन्म किसलिए हुआ है?
* गिरने के दौरान 2 किमी. तक उस बच्चे को यह एहसास ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। 7 किमी. के बाद, उस चूजे के पंख खुलने लगते हैं, लगभग 9 किमी. तक आने के बाद उसके पंख पूरी तरह खुल चुके होते हैं, वह पहली बार अपने पंख फड़फड़ाता है। लेकिन वह अभी भी उड़ना नहीं सीख पाया है। जब दूरी धरती से महज 700-800 मीटर रह जाती है, उस चूजे के ठीक ऊपर उड़ रही मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबाकर पुनः आसमानों की ऊंचाइयों में पहुंच जाती है और फिर यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की ट्रेनिंग से भी ज्यादा कठोर होती है और तब जाकर अपने से दस गुना वजनी प्राणी को लेकर उड़ सकने वाला बाज तैयार होता है।
* वास्तव में जीवन में कष्टों से दूर भागना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। कष्टों से भागने से अच्छा है, उसको सहन करते हुए उसी में से कामयाबी का रास्ता खोजा जाए। दुःख, परेशानियां हमें ताकतवर बनाने आती हैं, न कि तोड़ने। महान और कामयाब लोगों की जीवनियां पढ़ लें; ये सभी, महान संघर्षों की गाथाएं हैं। तो फिर कष्टों से, संघर्षों से घबराना क्यों?

"इस पथ का उद्देश्य नहीं है, श्रान्त भवन में टिक रहना ।
किन्तु पहुँचना उस सीमा तक, जिसके आगे राह नहीं ॥" ■

राजव्यवस्था

- IPC, CrPC तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक
- प्रेस एवं आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
- फार्मेसी (संशोधन) अधिनियम, 2023
- मध्यस्थता विधेयक, 2023
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023
- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2023

केंद्र–राज्य संबंध

- कावेरी जल विवाद

न्यायपालिका

- फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट द्वारा मामलों का त्वरित निपटान

कार्यक्रम एवं पहल

- टेली-लॉ 2.0
- स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा
- विवाद से विश्वास 2.0 योजना
- इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2022

न्यूज ब्रीफ्स

राजव्यवस्था

IPC, CrPC तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रतिस्थापन हेतु विधेयक

11 अगस्त, 2023 को लोक सभा में सरकार ने भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में परिवर्तन करने हेतु क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) विधेयक, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को पेश किया।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) विधेयक : मुख्य प्रावधान

- **राजद्रोह (Sedition):** भारतीय दंड संहिता, राजद्रोह को सरकार के प्रति घृणा या अवमानना अथवा असंतोष फैलाने का प्रयास करने के रूप में परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास अथवा जुर्माने के दंड का प्रावधान है।
  - भारतीय न्याय संहिता विधेयक इस प्रावधान को समाप्त करता है तथा इसके स्थान पर अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने को अपराध घोषित करता है। इन अपराधों के लिए 7 वर्ष तक की कैद अथवा आजीवन कारावास और जुर्माना हो सकता है।
- **मॉब लिंचिंग (Mob Lynching):** बीएनएस विधेयक में मॉब लिंचिंग के लिए एक विशिष्ट प्रावधान को सम्मिलित किया गया है तथा इस अपराध के दोषियों के लिए 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा निर्धारित की गई है।
- **आतंकवाद:** आतंकवादी कृत्यों को सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने वाले कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें आम जनता को डराना, भारत की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करना एवं विस्फोटकों के माध्यम से संपत्ति या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के प्रयास आदि को सम्मिलित किया गया है।
  - ऐसे कृत्यों को करने पर कम से कम 5 वर्ष की कैद अथवा आजीवन कारावास या कुछ मामलों में मृत्यु दंड भी हो सकती है।
- **संगठित अपराध (Organized Crime):** विधेयक 'संगठित अपराध' को व्यापक रूप से परिभाषित करता है (जो व्यक्तियों के एक समूह, अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में किया गया हो सकता है), जिसमें अपहरण, डकैती, तस्करी तथा अन्य आर्थिक और साइबर अपराध शामिल हैं।
- **जाति या नस्ल के आधार पर व्यक्तियों के समूह द्वारा हत्या:** विधेयक निर्दिष्ट आधार पर 5 या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या के लिए अलग-अलग दंड निर्दिष्ट करता है। इनमें नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा या व्यक्तिगत आस्था शामिल हैं। प्रत्येक अपराधी को 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 : मुख्य प्रावधान

यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 को निरस्त करता है। इस संहिता के माध्यम से सीआरपीसी में प्रस्तावित कुछ मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं:

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** मुकदमे, अपील की कार्यवाही, लोक सेवकों एवं पुलिस अधिकारियों सहित बयानों की रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में की जा सकती है।
  - आरोपी का बयान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही सम्मन, वारंट, दस्तावेज, पुलिस रिपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।
- **संचार उपकरण:** विधेयक 'संचार उपकरणों' सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार को शामिल करता है। अदालत या पुलिस अधिकारी के निर्देश पर, किसी व्यक्ति को पूछताछ के उद्देश्य से ऐसे किसी दस्तावेज अथवा उपकरण को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिसमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना हो।

सामाजिक परिदृश्य

सामाजिक मुद्दे
- गर्भ का चिकित्सकीय समापन

शिक्षा
- 14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं
- ग्रामीण भारत में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट

कार्यक्रम एवं पहल
- अखिल भारतीय शिक्षा समागम और उल्लास पहल
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
- लखपति दीदी योजना

स्वास्थ्य
- आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रिपोर्ट

विविध
- 'मनरेगा' की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट

न्यूज बुलेट्स

सामाजिक मुद्दे

गर्भ का चिकित्सकीय समापन

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कार पीड़िता को उसके **27 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति** प्रदान की।

- अवगत करा दें कि **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021** [MTP Amendment Act, 2021] बलात्कार पीड़िताओं को उनके **24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति** देता है।

MTP संशोधन अधिनियम, 2021 के मुख्य प्रावधान

- MTP अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किया जाने वाला कोई भी गर्भपात **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 312 और 313 के तहत दंडनीय अपराध** माना जाता है।
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, **यदि गर्भावस्था की अवधि 20 सप्ताह** तक है तो एक चिकित्सक की सलाह पर सभी महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति है।
- वहीं दूसरी तरफ, यदि **गर्भावस्था की अवधि 20-24 सप्ताह** की है तो **कम-से-कम दो चिकित्सकों की सलाह** पर केवल निम्नलिखित दो परिस्थितियों में ही गर्भ की समाप्ति की अनुमति प्रदान की गई है-
  - बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा हो, अथवा
  - महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो।
- यह सुविधा बलात्कार पीड़िताओं एवं परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार से पीड़ित महिलाओं तथा अन्य सुभेद्य महिलाओं जैसे- दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध है।
- उल्लेखनीय है कि **अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय** के माध्यम से इस अधिकार के तहत सभी विवाहित या अविवाहित महिलाओं को भी शामिल किया गया है।
- अधिनियम के अनुसार, यदि **गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक है, तब केवल भ्रूण की असामान्य स्थिति में ही मेडिकल बोर्ड (Medical Board) की सलाह पर गर्भ की समाप्ति की अनुमति** दी गई है।
- ऐसी स्थिति के लिए, सभी **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना अनिवार्य** किया गया है। इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि शामिल होंगे।

शिक्षा

14 राज्य/केंद्र-शासित प्रदेश अभी भी PM-USHA में शामिल नहीं

हाल ही में, केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि केरल, **तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** ने अभी तक **'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान' (PM-USHA)** के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्यों का केंद्र के साथ एक **समझौता ज्ञापन (MoU) अनिवार्य है,** किंतु कुछ राज्य इस समझौते के खिलाफ हैं।

PM-USHA
PRADHAN MANTRI UCHCHATAR SHIKSHA ABHIYAN

- पीएम-उषा योजना केंद्र और राज्यों के बीच **60:40 के फंडिंग** पर आधारित है, किंतु इसमें NEP सुधारों के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं है। इस पर अनेक राज्यों का तर्क है कि उनके पास NEP से संबंधित बदलाव लाने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में **जून 2023 में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान' (PM-USHA)** कर दिया गया था।
- 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' (RUSA) को एक **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में वर्ष **2013 में शुरू** किया गया था। योजना का **दूसरा चरण 2018** में शुरू हुआ था।

विरासत एवं संस्कृति

विरासत
- विश्व धरोहर कालका-शिमला रेलवे लाइनें
- सात उत्पादों को जीआई टैग

कार्यक्रम एवं पहल
- भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र
- पांडुलिपि विज्ञान और पुरालेखविद्या पर पाठ्यक्रम के विकास हेतु पैनल

पुरातात्विक साक्ष्य
- आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल
- मेगालिथिक हैट स्टोन : थोप्पिकल्लु

पर्व एवं महोत्सव
- उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव

न्यूज बुलेट्स

व्यक्तित्व
- सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण
- अन्ना भाऊ साठे

व्यक्तित्व

सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा का अनावरण

6 अगस्त, 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा **तमिलनाडु के चेन्नई स्थित राजभवन में सुब्रमण्यम भारती की प्रतिमा** (portrait) का अनावरण किया।

- साथ ही राजभवन परिसर स्थित **दरबार हॉल** (Durbar Hall) **का नाम** बदलकर इनके नाम पर भारथिअर **मंडपम (Bharathiar Mandapam)** रखा गया।
- सुब्रमण्यम भारती, तमिलनाडु के एक **राष्ट्रवादी कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक** थे। उन्हें महाकवि **भरथियार** के नाम से जाना जाता है। उनकी **अधिकांश रचनाएं लघु गीतात्मक शैली** में हैं, जिनकी विषय वस्तु देशभक्ति, ईश्वर भक्ति और रहस्यवादी विषयों आदि से संबंधित हैं।
- **कन्नन पट्टू** (Kannan Pattu), **निलावुम वनमिनम काट्रम** (Nilavum Vanminum Katrum), **पांचाली सबातम** (Panchali Sabatam), **कुयिल पट्टू** (Kuyil Pattu) उनकी महान काव्य रचनाओं के उदाहरण हैं। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने **जाति व्यवस्था का विरोध** किया। उन्होंने घोषणा की कि केवल दो जातियाँ हैं-पुरुष और महिला।
- इन्होंने संप्रदाय के आधार पर सामाजिक विभाजन को कम करने का आजीवन प्रयास किया। इनके द्वारा **लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों** की रक्षा के विभिन्न प्रयास किए गए। उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया।

अन्ना भाऊ साठे

हाल ही में, भारत राष्ट्र समिति (Bharat Rashtra Samithi - BRS) के संस्थापक अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा **अन्ना भाऊ साठे को भारत रत्न** से सम्मानित करने की मांग की गई है। इनके द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्र को भेजने का भी अनुरोध किया गया है।

- अन्ना भाऊ साठे का पूरा नाम तुकाराम भाऊराव साठे है, इनका जन्म 1 अगस्त 1920 को तत्कालिक बॉम्बे प्रेसीडेंसी के वाटेगांव (Wategaon) में एक मातंग समुदाय (Matang community) में हुआ था। इन्हें **दलित साहित्य के प्रणेता** के रूप में भी जाना जाता है।
- कालांतर में इन्हें अन्ना भाऊ साठे के नाम से जाना जाने लगा। वह महाराष्ट्र के एक **समाज सुधारक, लेखक और कवि** थे। साहित्यिक योगदान के आधार पर इनको **'लोकशायर'** (जनता के कवि) के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा मराठी भाषा में 35 उपन्यास लिखे गए।
- इन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव था और उन्हें अक्सर **'महाराष्ट्र के मैक्सिम गोर्की'** के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह रूसी लेखक-कार्यकर्ता के काम के साथ-साथ रूसी क्रांति से भी प्रेरित थे। साठे की **लघु कहानियों के 15 संग्रह** हैं, जिनमें से कई का **अनुवाद भारतीय और 27 गैर-भारतीय भाषाओं** में किया गया है।
- साठे ने एक नाटक, रूस पर एक **यात्रा वृतांत, 12 पटकथाएँ** (screenplays) और मराठी पोवाड़ा शैली (Marathi powada style) में 10 **गाथागीत** लिखे हैं। उन्होंने अपनी कला और काव्य प्रतिभा का उपयोग जनता को शिक्षित करने का काम किया।
- 1943 में, उन्होंने अमर शेख और डी. एन. गवांकर के साथ मिलकर **लाल बावता कलापथक** (Lal Bawta Kalapathak) का गठन किया। इस समूह ने जातिगत अत्याचारों, वर्ग संघर्ष और श्रमिकों के अधिकारों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया।
- 1959 में इन्होंने **फकीरा** नामक साहित्यिक रचना की, जिसके लिए इन्हें राज्य सरकार द्वारा पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 'फकीरा' को डॉ. भीमराव अम्बेडकर को समर्पित किया। 1 अगस्त, 2002 को भारत सरकार द्वारा इनकी स्मृति में 4 रुपये मूल्य के एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

कार्यक्रम एवं पहल

- भारत-न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम
- 'स्वदेश दर्शन योजना' पर कैग रिपोर्ट

अवसंरचना

- लिकारू-मिगला-फुकचे सड़क का निर्माण कार्य आरंभ
- मार्केट कपलिंग पर विभिन्न हितधारकों के सुझाव आमंत्रित

बैठक एवं सम्मेलन

- आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की 20वीं बैठक

वित्त क्षेत्र

- कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
- फ्रिक्शनलेस क्रेडिट

मुद्रा एवं बैंकिंग

- वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (ICRR) पर RBI के दिशा-निर्देश
- एआई-संचालित यूपीआई भुगतान सुविधाओं की घोषणा

अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी

- मूडीज द्वारा भारत को Baa3 की रेटिंग

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र

- तटीय जल कृषि प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- लोकनीति-सीएसडीएस आर्थिक सर्वेक्षण

न्यूज बुलेट्स

कार्यक्रम एवं पहल

भारत-न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम

22 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 'भारत-न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम' (Bharat-New Car Assessment Program: Bharat NCAP) लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम ग्लोबल एनसीएपी (NCAP) पर आधारित है।

मुख्य बिंदु

- **संदर्भ:** Bharat NCAP **नई कारों की सुरक्षा के आकलन से संबंधित कार्यक्रम** है। इसमें क्रैश टेस्ट (Crash Test) के प्रदर्शन के आधार पर ऑटोमोबाइल्स को स्टार रेटिंग देने की प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है।
  - विदित हो कि अब तक निर्माता अपने शोध केंद्रों पर स्वेच्छा से क्रैश परीक्षण कर रहे थे या स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिये यूनाइटेड किंगडम में एनसीएपी (NCAP) जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को कार भेजते थे।
- **उद्देश्य:** यह कार्यक्रम **1 अक्टूबर, 2023** से शुरू होगा। इसका उद्देश्य भारत में वाहनों के लिये सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में इजाफा करना है।

भारत NCAP की विशेषताएं

- इसके प्रावधान देश में निर्मित अथवा आयातित **3.5 टन से कम या उसके बराबर सकल वाहन भार वाले** M1 श्रेणी के वाहनों पर लागू होंगे।
  - **M1 श्रेणी** के वाहन ऐसे मोटर वाहन होते हैं, जिनका उपयोग **यात्रियों को लाने-ले जाने** के लिए किया जाता है। साथ ही, इनमें ड्राइवर की सीट के अलावा **8 से अधिक सीटें** नहीं होनी चाहिए।
- कार निर्माता स्वेच्छा से **'आटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड-197'** (Automotive Industry Standard-197) के अनुसार अपनी कारों का टेस्ट करवा सकते हैं।
- कार्यक्रम के तहत सुरक्षा का आकलन निम्नलिखित 3 प्राथमिक स्तंभों पर किया जाएगा:
  - एडल्ट ऑक्युपेंट सेफ्टी (Adult Occupant Safety)
  - चाइल्ड ऑक्युपेंट सेफ्टी (Child Occupant Safety) और
  - फिटमेंट ऑफ सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजी (Fitment of Safety Assist Technology) [उदाहरण के लिए- इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, एयरबैग आदि]
- कारों को वयस्क एवं बाल सुरक्षा (एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी) के लिए एक से पांच के मध्य स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी।

वैश्विक NCAP

- वैश्विक NCAP की **स्थापना वर्ष 2011** में हुई थी और यह यू. के. स्थित **'टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन'** की एक परियोजना है।
- वाहनों की सुरक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के मानकों को सार्वभौमिक रूप से अपनाने के लिये वैश्विक स्तर पर 'नए कार मूल्यांकन कार्यक्रमों' (NCAP) के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करने वाला वैश्विक NCAP एक मानकीकृत मंच है।
- यह कुछ सामान्य मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर वाहन की दुर्घटना संबंधी सुरक्षा के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है।

'स्वदेश दर्शन योजना' पर कैग रिपोर्ट

9 अगस्त, 2023 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा स्वदेश दर्शन योजना पर जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है तथा इस योजना के तहत आवंटित राशि का एक प्रतिशत से भी कम खर्च किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय संबंध व संगठन

बैठक एवं सम्मेलन
- 15वीं भारत-जापान विदेश मंत्रिस्तरीय रणनीतिक वार्ता

संधि एवं समझौते
- ऑस्ट्रेलिया के साथ 'म्यूच्यूअल रिकग्निशन अरेंजमेंट'
- इंडिया स्टैक को साझा करने हेतु त्रिनिदाद एवं टोबैगो से समझौता

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम
- गैबॉन द्वारा 500 मिलियन डॉलर के 'डेब्ट फॉर नेचर स्वैप' की घोषणा
- भारत तथा उत्तरी समुद्री मार्ग
- संगठित अपराध और जॉर्जिया रीको अधिनियम

द्विपक्षीय संबंध
- भारत-श्रीलंका कच्चातिवु द्वीप विवाद
- भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा
- भारत-म्यांमार सीमा तथा 'फ्री मूवमेंट रिजीम'

विविध
- लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों हेतु व्यापार एवं आर्थिक जुड़ाव योजना

मानचित्र के माध्यम से
- कोकोस (कीलिंग) द्वीपसमूह
- टिटिकाका झील

बैठक एवं सम्मेलन

15वीं भारत-जापान विदेश मंत्रिस्तरीय रणनीतिक वार्ता

27 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी के साथ '15वीं भारत-जापान विदेश मंत्रिस्तरीय रणनीतिक वार्ता' (15th India-Japan Foreign Ministers' Strategic Dialogue) आयोजित की।

- इस बैठक ने भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया।

बैठक के मुख्य बिंदु

- **निवेश:** वार्ता में जापान ने वर्ष 2022-27 की अवधि में भारत में 5 ट्रिलियन जापानी येन निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया। निवेश के संभावित क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर सहित महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियां तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं आदि शामिल हैं।
  - बैठक में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग को गहरा करने के उपायों पर भी चर्चा की गई।
- **पर्यटन:** वर्ष 2023 को भारत-जापान पर्यटन आदान-प्रदान वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसकी थीम 'कनेक्टिंग हिमालय टू माउंट फूजी' (Connecting Himalayas to Mount Fuji) है।
- **अन्य:** मंत्रियों ने हित के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने में भारत तथा जापान के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया, जो समावेशी एवं नियम-आधारित है।
  - मंत्रियों ने क्वाड सहित बहुपक्षीय ढांचे के तहत सहयोग पर भी चर्चा की। वे यूएनएससी (UNSC) में शीघ्र सुधार की आवश्यकता पर सहमत हुए। इस दौरान जी20 तथा जी7 की अध्यक्षता पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत-जापान संबंधों की पृष्ठभूमि

- **आर्थिक संबंध:** वर्ष 2011 में भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement: CEPA) लागू हुआ था।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा था।
- **रक्षा संबंध:** दोनों देशों की रक्षा सेनाओं द्वारा निम्नलिखित द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किए जाते हैं-
  - जिमेक्स [JIMEX] (नौसैनिक अभ्यास)
  - मालाबार अभ्यास (नौसैनिक अभ्यास) [ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका भी शामिल]
  - वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री (वायु सेना अभ्यास)
  - धर्म गार्जियन (थल सेना अभ्यास)
- **बहुपक्षीय मंच सहयोग:** दोनों देश क्वाड, G-20, G-4 और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) आदि जैसे संगठनों के सदस्य हैं।
- **अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग:** इसरो और जाक्सा (JAXA) एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी, उपग्रह नेविगेशन, चंद्र अन्वेषण तथा एशिया प्रशांत क्षेत्रीय अंतरिक्ष एजेंसी फोरम (Asia Pacific Regional Space Agency Forum: APRSAF) में सक्रिय सहयोगी हैं।

योजना | कुरुक्षेत्र | विज्ञान प्रगति

पत्रिका सार

योजना (अगस्त 2023)

- संवहनीय मैन्युफैक्चरिंग की ओर संक्रमण
- भारतीय अर्थव्यवस्था : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और आगे की राह
- देश को एकजुट रखने में भारतीय खेलों की भूमिका

कुरुक्षेत्र (अगस्त 2023)

- भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा
- स्कूली शिक्षा में स्वास्थ्य और पोषण पहलें
- खाद्य सुरक्षा के लिए प्रकृति आधारित समाधान

विज्ञान प्रगति (अगस्त 2023)

- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एवं भारत की हरित ऊर्जा आकांक्षा
- एन्यूट्रोनिक परमाणु संलयन

यह खंड अगस्त 2023 अंक की योजना, कुरुक्षेत्र एवं विज्ञान प्रगति पत्रिका पर आधारित है। इसके अंतर्गत हमने इन पत्रिकाओं का केवल सार-सारांश (Gist) प्रस्तुत करने के बजाय परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण के साथ यथोचित अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों को समाहित करते हुए अध्ययन सामग्री का प्रस्तुतीकरण किया है। यह अध्ययन सामग्री मुख्य परीक्षा के साथ-साथ प्रारंभिक परीक्षा हेतु भी महत्वपूर्ण है।

योजना (अगस्त 2023)

संवहनीय मैन्युफैक्चरिंग की ओर संक्रमण

हाल ही में जारी फिक्की-मैकिंजी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2047 तक उच्च आय वाला राष्ट्र बन सकता है। इस लक्ष्य तक पहुंचाने में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की भूमिका होगी।

- नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा समय से छः गुना ज्यादा होगी और अर्थव्यवस्था में 60 करोड़ अतिरिक्त रोजगारों के सृजन होने की संभावना है।
- देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं:
  - **उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:** पीएलआई योजना के माध्यम से सरकार भारतीय कंपनियों को उनके उत्पादों की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करती है।
    - इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत वाहनों, सौर मॉड्यूल, चिकित्सा उपकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को लाभ प्रदान किया जा रहा है।
  - **पीएम गति शक्ति:** गति शक्ति योजना के तहत वर्ष 2019 में शुरू की गई 110 लाख करोड़ रुपए की 'राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन' को समाहित किया जाएगा।
    - इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है।
  - **उद्योग 4.0 (Industry 4.0):** भारत सरकार उद्योग 4.0 को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मैन्युफैक्चरिंग उद्योग ने वित्त वर्ष 2021 में उद्योग 4.0 समाधानों पर 5.5 से 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक की रकम खर्च की।
    - उद्योग 4.0 मुख्यतः बाधा रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियों जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत अधिक डिजिटलीकरण तथा उत्पादों, वैल्यू चेन, व्यापार मॉडल को एक-दूसरे से अधिकाधिक जोड़ने की परिकल्पना की गई है।
  - **हरित विनिर्माण:** विनिर्माण उद्योग ग्रीनहाउस गैसों और अन्य प्रदूषकों के पर्यावरण में निर्मुक्ति का एक बड़ा स्रोत है। इसलिए भारत सरकार हरित विनिर्माण (Green manufacturing) को बढ़ावा दे रही है।
    - हरित विनिर्माण, उत्पादन का एक तरीका है, जिसमें उत्पादन प्रक्रियाओं को पर्यावरण-अनुकूल बनाया जाता है, जिससे पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।
  - **जीरो डिफेक्ट-जीरो एफेक्ट:** भारत सरकार 'जीरो डिफेक्ट-जीरो एफेक्ट' जैसी पहल के माध्यम से व्यवसायों को पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।
    - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई यह योजना एक एकीकृत और व्यापक प्रमाणन प्रणाली है। यह योजना उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों में प्रदूषण शमन, ऊर्जा दक्षता आदि को प्रोत्साहित करती है।
  - **औद्योगिक गलियारा विकास:** भारत सरकार द्वारा औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम जैसे पहलों के माध्यम से अवसंरचना से संबंधित चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है।
    - राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य औद्योगिक गलियारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। यह आर्थिक विकास के इंजन के रूप में काम करने के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो औद्योगीकरण को बढ़ावा देता है और पूरे भारत में रोजगार अवसर सृजित करता है।

भारत के समक्ष अवसर

- कोविड 19 वैश्विक महामारी के पश्चात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। इसका आकार 2030 में 12 खरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है।

प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-1

प्रिय पाठक,

आगामी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 हेतु हम इस अंक से प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक की शुरुआत कर रहे हैं। इस खण्ड के अंतर्गत प्रकाशित सामग्री संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एवं राज्य लोक सेवा आयोगों (State PSCs) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।

विगत 10-15 वर्षों में आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्नों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि परीक्षा में प्रश्न (विशेषकर यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारभिक परीक्षा में) सामान्यतः दोहराए नहीं जाते, बल्कि सामान्य अध्ययन में कई ऐसे विषय (Topics) हैं, जो अपने विशेष महत्व के कारण अक्सर दोहराए जाते हैं तथा इन विषयों के विभिन्न आयामों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

तदनुसार हम अक्टूबर 2023 के इस अंक में प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-1 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के 32 अति महत्वपूर्ण विषयों (Topics) को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगा, जिसमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी शामिल होंगे।

आशा है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के दौरान यह सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके संबंध में आप अपना अनुभव हमारे साथ cschindi@chronicleindia.in पर साझा कर सकते हैं।

इतिहास एवं संस्कृति

1. प्राचीन भारतीय पुरातत्व स्थल 86
2. प्राचीन भारतीय बंदरगाह एवं व्यापार केंद्र 88
3. बौद्ध धर्म: प्रमुख स्थल, स्तूप, ग्रंथ एवं विद्वान 90
4. पूर्व-मध्यकालीन राजवंश (800-1200 ई.) 92
5. भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली 94
6. भारत में भक्ति एवं सूफी आंदोलन : स्वरूप एवं व्यक्तित्व 96

भूगोल

7. भारत का अपवाह तंत्र 98
8. भारत की पर्वतीय वनस्पति 103
9. भारत की प्रमुख आर्द्रभूमियां 103
10. भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन 106
11. भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक 107

राजव्यवस्था

12. स्थानीय स्वशासन 109
13. संसद से संबंधित विभिन्न प्रस्ताव 111
14. संसद सदस्यों की अयोग्यता 113
15. संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया 114
16. संसदीय शासन प्रणाली 115
17. राज्यपाल का पद तथा उसकी शक्तियां 116
18. सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां 118

अर्थव्यवस्था

19. आरबीआई की कार्यप्रणाली एवं मौद्रिक नीति 120
20. सरकारी प्रतिभूतियां या बॉन्ड 121
21. भारत की राजकोषीय नीति 122
22. भारत में बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण 123
23. भारत में ऋण प्रबंधन 125

पर्यावरण

24. जलवायु परिवर्तन : वैश्विक पहलें 126
25. भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन 127
26. भारत में जैव विविधता संरक्षण : संस्थागत रूपरेखा 128
27. भारत की संकटग्रस्त एवं सुभेद्य जैव-प्रजातियां 130
28. वायु गुणवत्ता दिशा-निर्देश एवं तंत्र 133

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

29. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति 135
30. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग 137
31. दुर्लभ मृदा तत्वों का अनुप्रयोग 138
32. जूनोटिक रोग 139

इतिहास एवं संस्कृति

प्राचीन भारतीय पुरातत्व स्थल

प्राचीन भारत के रहस्य को उजागर करने में पुरातात्विक प्रयास अत्यधिक महत्व रखते हैं। सावधानीपूर्वक उत्खनन, गहन विश्लेषण और व्यावहारिक व्याख्या के साथ, निपुण पुरातत्वविदों ने विशाल उपमहाद्वीप की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रोशन करते हुए, इतिहास में जान डाल दी है।

पाषाण काल

- पाषाण युग मानव के विकास से संबंधित एक व्यापक प्रागैतिहासिक काल है। इसका काल लगभग 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर धातु युग के प्रारंभ तक माना जाता है।
- प्रारंभिक मानव इस काल में शिकार-संग्रह के लिए पत्थर के औजारों व हथियारों का उपयोग करते थे। इनमें से अधिकांश पत्थर के उपकरण पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले हैं। इन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है-
  - पुरापाषाण काल
  - मध्यपाषाण काल
  - नवपाषाण काल

✓ **पुरापाषाण काल :**

- यह काल मानव विकास का प्रारंभिक काल था। पुरापाषाण युग प्लेइस्टोसिन काल (हिम युग) का हिस्सा था।
  - इस युग के लोगों को शिकारी-संग्राहक के रूप में वर्णित किया जाता है।
  - पुरातात्वविक साक्ष्यों के अनुसार, इस काल में मानव नदियों या जलस्रोतों के निकट गुफाओं अथवा चट्टानी आश्रयों में रहता था।
  - शिकार पर निर्भर होने के कारण वे शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते थे। इसलिए, उनकी जीवन-शैली खानाबदोश थी।
- वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और भोजन के लिए फल, मेवे, बीज, जड़ें एवं पत्तियां इकट्ठा करते थे।
  - इस काल में कृषि का विकास नहीं हुआ था।
  - हाथ की कुल्हाड़ियों, ब्लेड एवं स्क्रेपर्स जैसे बिना पॉलिश किए हुए, खुरदरे पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे।
  - भारत में पहला पुरापाषाणकालीन उपकरण, 'कुल्हाड़ी' की खोज 'रॉबर्ट ब्रुस फूट' ने पल्लावरम (चेंगलपट्टू जिला, तमिलनाडु) में की थी।
  - पुरापाषाण काल की इस अवधि को तीन भागों में विभाजित करके देखा जाता है-
    1. निम्न पुरापाषाण काल
    2. मध्य पुरापाषाण काल
    3. ऊपरी पुरापाषाण काल

1. निम्न पुरापाषाण काल

- इस काल में प्रयुक्त पत्थर के उपकरण मुख्यत: क्वार्टजाइट से बने होते थे। मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में कुल्हाड़ियां, बड़ा छुरा, गंड़ासा आदि थे।
- इन उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से शिकार की खाल उतारने, काटने और खोदने आदि के लिए किया जाता था।
- **प्रमुख स्थल**
  - ✧ सोहन घाटी (पाकिस्तान)
  - ✧ बेलन घाटी (उत्तर प्रदेश)
  - ✧ भीमबेटका (मध्य प्रदेश)
  - ✧ बिडवाना (राजस्थान)
  - ✧ बोरी (महाराष्ट्र)
  - ✧ हुसंगी (कर्नाटक)
- होमो इरेक्टस मानव के जीवाश्म मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनोरा से मिले थे।

2. मध्य पुरापाषाण युग

- मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में फ्लेक्स, ब्लेड, स्क्रेपर्स एवं पॉइंटर्स थे। ये उपकरण हल्के, आकार में छोटे और दिखने में नुकीले होते थे।
- लोग मुख्यत: गुफाओं और चट्टानी आश्रयों में रहते थे।
- इस काल में निएंडरथल मानव का प्रभुत्व था।
- **महत्वपूर्ण स्थल:**
  - ✧ भीमबेटका।
  - ✧ नर्मदा नदी घाटी।
  - ✧ लूनी घाटी (राजस्थान)।
  - ✧ तुंगभद्रा नदी घाटी।
  - ✧ पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)
  - ✧ नेवासा (महाराष्ट्र)
  - ✧ संघाओ गुफा (पाकिस्तान)।
  - ✧ पोटवार पठार (सिंधु एवं झेलम के मध्य)।

3. उच्च पुरापाषाण काल

- इस युग में होमो सेपियंस का उदय हुआ।
- इस युग का प्रतिनिधित्व **ऑस्टियोडोन्टोकरेटिक** (अस्थियों से निर्मित उपकरण) संस्कृति द्वारा किया जाता है, जिसमें उपकरण हड्डियों, दांतों और सींगों से बने होते थे।
- भीमबेटका में पाए गए शैल चित्र इसी काल के हैं, जो पुरापाषाण काल के लोगों की कला एवं संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं।
- **महत्वपूर्ण स्थल:**
  - ✧ बेलन घाटी
  - ✧ भीमबेटका
  - ✧ कुरनूल गुफाएं
  - ✧ आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट।
  - ✧ हड्डी के उपकरण कुरनूल और मुचचतला चिंतामणि गावी (आंध्र प्रदेश) के गुफा स्थलों से मिले हैं। आंध्र प्रदेश में कुरनूल गुफाओं में राख के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि ऊपरी पुरापाषाण युग में लोग आग से परिचित थे।

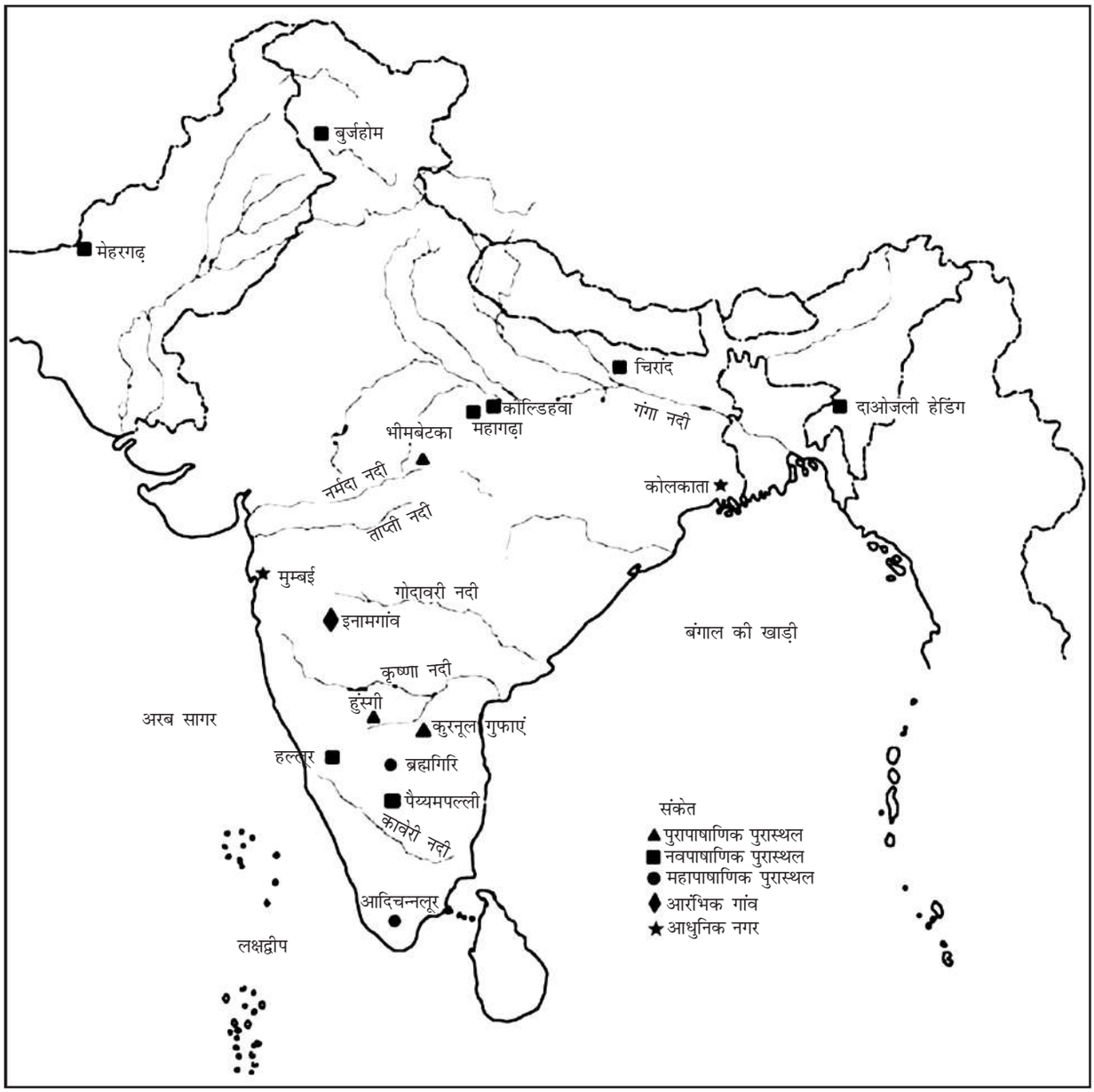

✓ **मध्यपाषाण काल**

➢ यह काल होलोसीन युग का है। पृथ्वी पर गर्म जलवायु के परिणामस्वरूप बर्फ पिघलती है और पर्यावरणीय परिवर्तन भी आते हैं। इस काल के पत्थर के उपकरण आम तौर पर छोटे और नुकीले होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है।

➢ **महत्वपूर्ण विशेषताएं**

- यह पुरापाषाण व नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमणकालीन चरण था।
- मानव द्वारा पहली बार जानवरों को पालतू बनाया गया एवं कृषि कार्य प्रारंभ किया गया। कुत्ता पहला पालतू जानवर था।
- लोग अर्द्ध-स्थायी अधिवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस चरण में गंगा के मैदानों में पहली बार मानव प्रवेश हुआ।
- जानवरों को पालतू बनाने का पहला साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से मिला है।
- राजस्थान में बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्यपाषाण स्थल है, जहां सूक्ष्मपाषाण, जानवरों की हड्डियां और सीपियां खुदाई में मिली हैं।
- मृतकों को दफनाने का सबसे पहला साक्ष्य गुजरात के लंघनाज और उत्तर प्रदेश के मोहना पहाड़ी से मिला है।
- **अन्य महत्वपूर्ण स्थल:**

➢ भीमबेटका, खरवार, जोरा और कठोतिया (मध्य प्रदेश)

➢ सराय नाहर राय (उत्तर प्रदेश)

➢ सुंदरगढ़, संबलपुर(ओडिशा)

➢ एझुथु गुहा (केरल)

✓ **नवपाषाण काल**

- नवपाषाण काल में लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आए।